न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 32/07 (वाद)

1. श्री किशनसिंह पिता चेनसिंह मु. उदयसिंह राजपूत निवासी सनवाड तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री सज्जनसिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत निवासी सनवाड तह. मावली।
2. श्री अर्जुनसिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत निवासी सनवाड तह. मावली।
3. श्रीमती दाखीबाई बेवा खुमाणसिंह राजपूत निवासी सनवाड तह. मावली।
4. श्रीमती सायरकुंवर बेवा उदयसिंह राजपूत निवासी सनवाड हाल काली मगरी का खेडा वाया गंगापुर तह. सहाडा जिला भीलवाडा। **(मृतक तर्क किया)**
5. श्री चेनसिंह पिता मखनसिंह राजपूत निवासी सनवाड तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये उपतहसीलदार सनवाड एवं उप पंजीयक सनवाड तह. मावली।
7. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड तह. मावली।
8. श्री भंवरसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी करूकडा तह. कपासन।
9. श्री मनोहरसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी करूकडा तह. कपासन।
10. श्री लालसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी करूकडा तह. कपासन।
11. कमलाकुंवर पुत्री तेजसिंह राजपूत निवासी करूकडा तह. कपासन।
12. कचंनकुंवर पुत्री तेजसिंह राजपूत निवासी करूकडा तह. कपासन।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादी।

2. श्री पवन सेन, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 5।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 12.09.2019

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड में परिशिष्ठ क में वर्णित आराजी नम्बर 3778 से 3787 किता 10 रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा उक्त आराजीयात में विपक्षी सं. 1 से 3 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 5 का 1/3 हिस्सा रिकार्ड में दर्ज हैं। परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 644, 649, 643, 645, 646, 647, 648 किता 7 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा उक्त आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 से 3 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी चेनसिंह का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सायरकुंवर का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित हैं।

2. यह कि उपरोक्त वाद में वर्णित परिशिष्ट क व ख में वर्णित जमीन में उदयसिंह पिता चमनसिंह जी खातेदार थे उनका देहावसान हो चुका है स्वर्गीय उदयसिंह जीवित रहे उनके जीवनकाल में प्रतिवादीया सायरकुंवर कभी भी सनवाड नहीं आयी वह अपने पीयर में रह रही थी। श्री उदयसिंह जी मृत्यु के पश्चात् वह आयी। पिछले 40 वर्षों से स्वर्गीय उदयसिंह जी की कोई सेवा चाकरी नहीं की वादी श्री किशनसिंह जी ने की और वही उदयसिंह जी की जमीन जायदाद का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। स्व. उदयसिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 16.11.99 को एक वसीयत पत्र वादी के हक में निष्पादन कर उसका निष्पादन कर दिया कि उसके मरने के बाद समस्त जायदाद का मालिक किशनसिंह होगा। उदयसिंह के जीवनकाल में ही एक गोदनामा वादी के हक में दिनांक 15.11.99 को लिख दिया और पब्लिक नोटेरी से उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया।
3. यह कि खतौनी में सोहनकुंवर का नाम दर्ज है परन्तु सोनाकुंवर का भी देहावसान हो गया है उसके हिस्से का वारिसान भी उदयसिंह जी बने। सोनाकुंवर अपने ससुराल में ही मृत्यु हुई जो उदयसिंह जी से पहले हुई थी। इसलिए उदयसिंह जी सोनाकुंवर के हिस्से के मालिक हुए। स्वर्गीय उदयसिंह जी की मृत्यु हुई तब उसकी पगडी भी जाति रिवाज से वादी ने ही बांधी और वादी को स्वर्गीय उदयसिंह जी ने अपने जीवनकाल में गोद रखा तब सारी गोद की रस्में हिन्दू रितिरिवाज व जाति रिवाज के अनुसार सम्पन्न की।
4. स्वर्गीय उदयसिंह जी के मरने के बाद परिशिष्ट क व ख की भूमि में उदयसिंह जी के हिस्से में वादी श्री किशनसिंह ही खेती करता आ रहा है और उसके ही कब्जे उपभोग में हैं।
5. यह कि प्रतिवादी सायरकुंवर का कभी भी कोई कब्जा नहीं है न ही उनको स्वर्गीय उदयसिंह जी के जीवनकाल में कभी भी सनवाड नहीं आयी न ही उनकी सेवा चाकरी की। उदयसिंह जी की सेवा चाकरी व ईलाज में लकवे में आने पर किशनसिंह जी ने ही की इसलिए वही स्वर्गीय उदयसिंह जी की जायदाद का मालिक बना। प्रतिवादी या सायर कुंवर ने रेवेन्यु एजेन्सी से मिलकर नामान्तकरण सं. 3043 विरासत दिनांक 08.12.2006 को अपने नाम पर उदयसिंह जी की जगह अपने नाम पर खाता रद्दोबदल करवा लिया जबकि राजस्व अधिकारियों ने इस संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं की व

मिली भगत से उदयसिंह जी का विरासत का खाता खोल दिया। जो गलत है, नाम हटाया जाना आवश्यक हैं।

6. यह कि स्वर्गीय उदयसिंह जी ने वादी के पक्ष में वसीयत नामा सम्पादित किया इसलिए सम्पूर्ण जायदाद का मालिक किशनसिंह, वादी बना तथा वादी ही काबिज हैं।
7. यह कि वादी का मजबूत प्राइमाफैसी केस है, तथा सुविधा संतलुन भी वादी के पक्ष में है, वादी पिछले कई वर्षो से उक्त जमीन का उपयोग उपभोग करता हुआ आ रहा है, तथा काश्त वगैरा कर रहा है, प्रतिवादीगण का उक्त जमीन पर कोई कब्जा नहीं है, कब्जा वादी का चला आ रहा है, तथा प्रतिवादीयां सायरकुंवर ने वादी को धमकी दी है कि जमीन अपने नाम करवा ली है, तथा उसको खुर्दबुर्द कर दूंगी व किसी अन्य को विक्रय कर दुंगी। जबकि सायरकुंवर का उक्त जमीन पर कोई कब्जा नहीं है तथा दिनांक 07.02.07 को वादी को धमकी दी कि जमीन बेचकर तुम्हे बर्बाद कर दूंगी। उसको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वादी पिछले कई वर्षों से उक्त जमीन का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी वादी के पक्ष में है, यदि उक्त जमीन को प्रतिवादी किसी अन्य को विक्रय कर देगे व वादी को बेदखल कर देगे तो वादी को जो क्षति होंगी उसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना अंसभव होगा व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें।
8. वाद कारण दिनांक 07.02.07 को पैदा हुआ व जारी हैं।
9. इस्तदुआ वादी खिलाफ प्रमितवादीगण निम्न प्रकार है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वादी का कब्जा स्वर्गीय उदयसिंह जी के खाते की जमीन पर है उसको खुर्द बुर्द नहीं करे, न किसी अन्य को हस्तान्तरण करे, वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे उसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न बेदखल करें। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात परिशिष्ट क व ख में श्रीमती सायरकुंवर का नाम खातेदारी से हटा कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। दौराने वाद अगर प्रतिवादी सायरकुंवर वाद पत्र की परिशिष्ठ अ व ब में वर्णित भूमि हस्तान्तरित कर भी देवे तो उसे शुन्य करार कर दिया जावे।

10. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 5 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत कर वाद स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रतिवादी सं. 4 द्वारा अपने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 4 सायरकुंवर उदयसिंह जी की पत्नी हैं। उदयसिंह के कोई पुत्र नहीं हैं। वादी किशनसिंह चेनसिंह जी का एकमात्र पुत्र है जिसे कानूनन न तो गोद दिया जा सकता है न ही गोद लिया जा सकता हैं। हमने किशनसिंह को कभी गोद नहीं रखा। उदयसिंह के मरने के बाद जमीन मेरे नाम आई व मैं उपयोग उपभोग कर रही हुं। वादी ने यह झूठा दावा प्रतिवादीयां को तंग, परेशान व जमीन हडपने की नियत से किया हैं तथा बिना वाद कारण के पेश किया है जो भारी हर्जे खर्चे से खारिज फरमाया जावें। प्रतिवादी सं. 8 से 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 4 फौत होने से वादी के अलावा कोई वारिस नहीं होने से प्रतिवादी सं. 4 का नाम तर्क किया गया।
11. वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री किशनसिंह, पीडब्ल्यू 2 श्री हडमत सिंह, पीडब्ल्यू 3 श्री गजेन्द्रसिंह, पीडब्ल्यू 4 श्री निर्भय सिंह, पीडब्ल्यू 5 श्री मोड सिंह का पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1, 2, असल गोदनामा प्रदर्श 3 फोटो प्रति 3ए, असल वसीयतनामा प्रदर्श 4 व फोटो प्रति प्रदर्श 4ए, उदयसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 व फोटो प्रति 5ए पेश किये।
12. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्धान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्धान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 5 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं वादी का वाद स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नही की।
13. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्धान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में प्रतिवादी सं. 4 के नाम पर दर्ज है जो दस्तावेज प्रदर्श 1 व 2 हैं। वादी द्वारा वाद इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है तथा खातेदार उदयसिंह पिता चमनसिंह के कोई औलाद नहीं

होने से खातेदार उदयसिंह द्वारा वादी किशनसिंह को जरिये गोदपत्र दिनांक 15.11.99 को 100/– रूपये के स्टाम्प पर लिखापढी कर नोटेरी करवाई जो प्रदर्श 3 हैं से गोद रखा व खातेदार उदयसिंह ने एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा भी दिनांक 16.11.99 को वादी के पक्ष में निष्पादित करवाया जो प्रदर्श 4 हैं। चूंकि प्रकरण में वादी द्वारा बताया कि प्रतिवादी सं. 4 सायरकुंवर खातेदार उदयसिंह के जीवित रहते ही अपने पीहर चली गई व उदयसिंह की किसी प्रकार से सेवा चाकरी नहीं की। खातेदार उदयसिंह जी की सेवा चाकरी वादी द्वारा की जिससे प्रसन्न होकर खातेदार उदयसिंह ने वादी के पक्ष में गोदनामा व वसीयत पत्र का पंजीयन करवाया हैं। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर उदयसिंह व उदयसिंह की मृत्यु के पश्चात् अब तक उपयोग उपभोग करना बताया है जिसकी पुष्टि प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 5 द्वारा अपने जवाब में की हैं। वादी का उदयसिंह जी के गोद जाना व उनकी जमीन पर काबिज होना स्वतन्त्र गवाह पीडब्ल्यू 2 श्री हडपतसिंह, पीडब्ल्यू 3 श्री गजेन्द्रसिंह, पीडब्ल्यू 4 श्री निर्भयसिंह, पीडब्ल्यू 5 श्री मोडसिंह द्वारा अपने शपथ पत्र में किया हैं। खातेदार उदयसिंह की मृत्यु हो जाने से विरासत से भूमि प्रतिवादी सं. 4 सायरकुंवर के नाम दर्ज हो चुकी हैं। खातेदार उदयसिंह व सासरकुंवर के कोई प्राकृतिक संतान नहीं थी। वर्तमान में उदयसिंह व सायरकुंवर दोनो की ही मृत्यु हो चुकी हैं। खातेदार उदयसिंह द्वारा वादी के पक्ष में एक रजिस्टर्ड वसीयत नामा दिनांक 16.11.99 को निष्पादित करवाया है जो प्रदर्श 3 है के अवलोकन से खातेदार उदयसिंह द्वारा अपने समस्त चल अचल सम्पति को वादी किशनसिंह के पक्ष में वसीयत करना स्वीकार किया हैं। चूंकि खातेदार उदयसिंह की दिनांक 28.9.06 को मृत्यु हो चुकी है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 हैं एवं सायरकुंवर की भी मृत्यु हो चुकी है ऐसी स्थिति में वसीयत दिनांक 16.11.99 के आधार पर वादी खातेदार उदयसिंह के नाम पर दर्ज भूमि अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा सनवाड

पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 3778 से 3787 किता 10 रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा भूमि एवं आराजी नम्बर 644, 649, 643, 645, 646, 647, 648 किता 7 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि में खातेदार उदयसिंह पिता चमनसिंह की भूमि में प्रतिवादी सं. 4 सायरकुंवर के बजाय वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास मोहन सिंह, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री किशनसिंह पिता चेनसिंह मु. उदयसिंह राजपूत निवासी सनवाड तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री सज्जनसिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत निवासी सनवाड तह. मावली।
2. श्री अर्जुनसिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत निवासी सनवाड तह. मावली।
3. श्रीमती दाखीबाई बेवा खुमाणसिंह राजपूत निवासी सनवाड तह. मावली।
4. श्रीमती सायरकुंवर बेवा उदयसिंह राजपूत निवासी सनवाड हाल काली मगरी का खेडा वाया गंगापुर तह. सहाडा जिला भीलवाडा। **(मृतक तर्क किया)**
5. श्री चेनसिंह पिता मखनसिंह राजपूत निवासी सनवाड तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये उपतहसीलदार सनवाड एवं उप पंजीयक सनवाड तह. मावली।
7. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड तह. मावली।
8. श्री भंवरसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी करूकडा तह. कपासन।
9. श्री मनोहरसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी करूकडा तह. कपासन।
10. श्री लालसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी करूकडा तह. कपासन।
11. कमलाकुंवर पुत्री तेजसिंह राजपूत निवासी करूकडा तह. कपासन।
12. कचंनकुंवर पुत्री तेजसिंह राजपूत निवासी करूकडा तह. कपासन।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 32/07 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मोहन सिंह R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 3778 से 3787 किता 10 रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा भूमि एवं आराजी नम्बर 644, 649, 643, 645, 646, 647, 648 किता 7 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि में खातेदार उदयसिंह पिता चमनसिंह की भूमि में प्रतिवादी सं. 4 सायरकुंवर के बजाय वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12.09.2019 को जारी की गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली